राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2)

क्रमांकः प 13(1)साप्र/2/18 **जयपुर, दिनांक : 18-02-2021**

परिपत्र

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष, जयपुर

विषयः– राजकीय आवास हेतु आवेदन एवं आवंटन की प्रकिया को ऑनलाइन करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय आवास आवंटन हेतु आवेदन एवं राजकीय आवास आवंटन में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रकिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम जिन अधिकारियो/कर्मचारियों ने राजकीय आवास हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में आवेदन किया हुआ हैं एवं वर्तमान में भी आवास के इच्छुक है, वह स्वयं की SSO ID के माध्यम से पूर्व वरीयता दर्ज करते हुए ऑनलाइन पुनः आवेदन करें, जिससे राजकीय आवास के इच्छुक अधिकारियो/कर्मचारियो को पात्रतानुसार शीघ्र आवास का आवंटन हों सकें। इस हेतु निम्नाकिंत प्रकिया अपनाई जावे :–

sso id → RajKaj → Employee corner → Accommodation →

Reapply for accommodation → Form Filling → Save → Submit

उक्त परिपत्र जारी होने कि तिथि से एक माह में उक्त प्रकिया अनुसार पुनः आवेदन किया जा सकेगा। तद्नुसार सभी अधिकारियो व कार्मिको को सूचित करने का कष्ट करे।

(दिनेश कुमार यादव)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
3. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

19/2/21

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल